संवाद

सही या गलत के घेरे में 'पोर्नोग्राफ़ी'

जुही

पोर्नोग्राफ़ी ग्रीक भाषा के दो शब्दों— पोर्न (रंडी) व ग्राफोज़ (लेखन, चित्रांकन) को मिलाकर बनाया गया है। इसका अर्थ है— वेश्याओं या रंडियों के बारे में लिखना। पुरातन काल से ही नगरवधू, रंडी, वेश्या को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है उसे एक यौन दासी समझा जाता है।

महिलाओं के चित्रण का प्रश्न अश्लीलता, सेंसरशिप व शरीर की राजनीति से जुड़ा है। कौन यह तय करता है कि अश्लील क्या है? ऐसा तय करने के आधार क्या हैं? इन तमाम सवालों पर अनेक विचार व नज़रिये हैं जो एक व्यक्ति की अपनी निजी सोच पर आधारित हैं। पर एक बात स्पष्ट है— हमारे पितृसत्तात्मक नैतिक पुर्वाग्रहों से घिरे समाज में यौनिकता व औरतों के शरीर से जुड़ी हर बात पर विरोध-प्रतिरोध होना बहुत ही स्वभाविक है।

पोर्नोग्राफ़ी विमर्श व अध्ययन के विषय पर है जिस पर नारीवादियों के बीच भी आम सहमति नहीं है। कुछ का मानना है कि पोर्नोग्राफ़ी हिंसा दर्शाने वाली छवियां या ज़बरदस्ती बनाए जाने वाले यौन संबंधों का प्रदर्शन करके महिला हिंसा को बढ़ावा देती है। यह महिला के शारीरिक अधिकारों का हनन करती है। यौन क्रिया महज़ पुरुष कामुकता की संतुष्टि का ज़रिया मात्र है। पोर्नोग्राफ़ी एक तरह से महिला को अपमानित करने का तरीका है और इस लिहाज़ से उसे यौन हिंसा के रूप में देखा जाना चाहिए। पोर्नोग्राफ़ी की रचना में औरतों का यौन व आर्थिक शोषण किया जाता है उसे उपभोग की वस्तु मानकर एक नैसर्गिक दर्जा दिया जाता है। पोर्नोग्राफ़ी विरोधी मानते हैं कि यह औरतों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती है, तथा पुरुषों को महिला अधिकारों के प्रति कम संवेदनशील बनाती है इसलिए पोर्नोग्राफ़ी विरोधी कानूनों का बनना महिला अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

अन्य नारीवादी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर पोर्नोग्राफ़ी का विरोध नहीं करतीं। वे मानती हैं कि औरतें भी यौन कल्पनाओं का आनंद उठाती हैं। पोर्नोग्राफ़ी कुछ के लिए आमदनी का साधन तथा कुछ के लिए आनंद का ज़रिया होता है। समाज में व्याप्त 'यौन नकरात्मकता' औरतों को स्वच्छंद यौन अभिव्यक्ति से रोकती है और इस तर्क के आधार पर पोर्नोग्राफ़ी यौन स्वतंत्रता में सहायक होती है।

कुछ नारीवादियों के अनुसार पोर्नोग्राफ़ी पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ होगा सेंसरशिप को बढ़ावा देना। यह राज्य के नैतिक रवैये को समर्थन देना हो जायेगा व इससे राज्य की जनता के ऊपर नैतिक नज़रबंदी को बढ़ावा मिलेगा।

पोर्नोग्राफ़ी समर्थक समूह के विचार में उसका विरोध करने वाले समूह नैतिक व धार्मिक परम्परावादी हैं और उनकी नज़र में यह अश्लील तथा पारिवारिक व धार्मिक मूल्यों को भ्रष्ट करती है। पोर्नोग्राफ़ी समर्थक खुद को उदारवादी मानती हैं तथा निजी तौर पर पोर्नोग्राफ़ी सामग्री के इस्तेमाल को व्यस्क महिलाओं के यौन अधिकार की अभिव्यक्ति के रूप में देखती हैं।

कुछ नारीवादी पक्ष ऐसे भी हैं जो महिलाओं की यौन अभिव्यक्ति व शरीर पर अधिकार को मानती हैं परन्तु स्त्री शरीर की यौनिक छवि व प्रस्तुति का वे समर्थन नहीं करती। उनके मत में पोर्नोग्राफ़ी का सीधा संबंध अनैतिकता, अश्लीलता, नग्नता और अस्वस्थ यौन छवियों के प्रदर्शन से होता है।

इन सभी विचारधाराओं की समीक्षा से यह संकेत मिलता है कि पोर्नोग्राफ़ी विमर्श विभिन्न स्तरीय बहसों और चर्चाओं के केंद्र में है। भारत में फिलहाल 1986 का महिलाओं के अश्लील चित्रण विरोधी कानून मौजूद हैं इसके साथ-साथ कट्टरवादी व धार्मिक परम्परावादी तत्व अभिव्यक्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी ताकत संगठित कर रहे है। वे खुद को 'भारतीय नैतिकता और सभ्यता' का संरक्षक घोषित कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हक़ को सीमित और संकुचित दायरों में परिभाषित कर रहे हैं।